

तारीख हुक्म	<p style="text-align: center;">राजस्व अपील संख्या 08/2017</p> <p style="text-align: center;">हरमन बनाम मांगीदेवी</p> <p style="text-align: center;">हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p style="text-align: center;">नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
-------------	--	--

अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। हस्तगत प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलांट अधिवक्ता द्वारा उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अन्तरिम आदेश दिनांक 24.06.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। हस्तगत प्रकरण मे हाजा न्यायालय द्वारा दिनांक 20.02.2017 से निरन्तर अंतिम आदेशिका तक अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब किये जाने का आदेश पारित किया गया। अपीलांट अधिवक्ता द्वारा प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील अन्तरिम आदेश दिनांक 24.06.2015 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई है। उक्त आदेशिका के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20.02.2017 को अंतरिम आदेश पारित किया गया है। प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त आराजी से संबधित मूल निर्णय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन/लंबित मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत निर्णीत होगा। ऐसी परिस्थितियों मे न्यायहित को मद्देजर रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब किया जाकर प्रकरण को लंबा किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। उभयपक्ष अधिवक्ताओ द्वारा न्यायालय के इस मत पर अपनी सहमति जाहिर की गई।

प्रकरण मे उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई। अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मे वर्णित तथ्यो पर बहस करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोजेन्ट संख्या 01 द्वारा अपीलांट के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण मे वादग्रस्त आराजी के संबध मे प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। रेस्पोजेन्ट संख्या 01 के पिता रामलाल द्वारा खसरा संख्या 244 रकबा 4.73 मे से 0.10 हैक्टर भूमि रास्ते प्रयोजनार्थ हेतु बेचान की गई। राज्य सरकार द्वारा खातेदारी खेतो मे से रास्ता दिये जाने का प्रावधान किया हैं। अपीलांटगण द्वारा वादग्रस्त आराजी विधिवत तरीके से रेस्पोजेन्ट संख्या 02 से खरीद की गई है जो मौके पर रास्ता मौजूद है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किये बिना जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावे।

रेस्पोजेन्ट संख्या 01 के अधिवक्ता ने अपील मे वर्णित तथ्यो का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण मे समस्त बिन्दुओ को ध्यान मे रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-जालौर

तारीख हुक्म	<p style="text-align: center;">राजस्व अपील संख्या 08/2017</p> <p style="text-align: center;">हरमन बनाम मांगीदेवी</p> <p style="text-align: center;">हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p style="text-align: center;">नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
-------------	--	--

20/12/2022

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन से यह स्पष्ट है कि रेस्पोंडेंट संख्या 01 द्वारा अपीलांत के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी के संबंध में प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है।

हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील अन्तरिम व्यादेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत एकपक्षीय स्थगन आदेश पारित करने के सम्बन्ध में जो प्रावधान दिए गए हैं, उनमें मुख्य रूप से आदेश 39 नियम 1 से 4 मुख्य हैं, जहां तक आदेश 39 नियम 3 सीपीसी का प्रश्न है, इस संबंध में आदेश 39 नियम 3 सी पी सी का उद्धरण इस प्रकार है—

आदेश 39 नियम 3

3. *Before granting injunction, Court to direct notice to opposite party-*


The Court shall in all cases except where it appears that the object of granting the injunction would be defeated by the delay, before granting an injunction direct notice of the application

for the same to given to be the opposite party

Provided that, where it is proposed to grant an injunction without giving notice of the application to the opposite party, the court shall record the reasons for its opinion that the object of granting the injunction would be defeated by dealy, and require the applicant-

(A) to deliver to the opposite party, or to send to him by registered post, immediately after the order granting the injunction has been made, a copy of the application for injunction together with-

1. *a copy of the affidavit filed in support of the application.*
2. *a copy of the plaint and*
3. *copies of doucments on which the applicant relies, and*


 राजस्व अपील प्राधिकारी
 जज

तारीख हुक्म	<p style="text-align: center;">राजस्व अपील संख्या 08/2017</p> <p style="text-align: center;">हरमन बनाम मांगीदेवी</p> <p style="text-align: center;">हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p style="text-align: center;">नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
-------------	--	--

(b) to file, on the day on which such in such injunction is granted or on the day immediately following that day, and affidavit stating that the copies aforesaid have been so delivered sent.


आदेश 39 नियम 3(क) सी.पी.सी में प्रावधित किया है कि " 3-A Court to disposed application for injunction within thirty days-- Where an injunction has been granted without giving notice to the opposite party, the court shall make an endeavour to the finally dispose of the application within thirty days from the date on which injunction was granted; and where it is unable so to do, it shall record the reason its reasons for such inability" इस प्रकार यह स्पष्ट है कि, जहाँ अस्थाई निषेधाज्ञा विरोधी पक्षकार को सूचना दिए बिना जारी की गई तो न्यायालय द्वारा 30 दिन के भीतर निपटारा किया जाने का प्रयास किया जाना चाहिए, यदि ऐसा करने में असमर्थ है, तो असमर्थता के कारणों को अभिलेखित करना चाहिए।

उपरोक्त कानून के सन्दर्भ में हस्तगत प्रकरण का परीक्षण करने पर यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील व्यादेश एकपक्षीय अंतरिम व्यादेश है। विधि अनुसार जहां एकपक्षीय रूप से अन्तरिम स्थगन आदेश पारित किया जाता है, ऐसे मामले को न्यायालय द्वारा 30 दिवस के भीतर निपटारा किया जाने का प्रयास किया जाना चाहिए, यदि ऐसा करने में असमर्थ है, तो असमर्थता के कारणों को अभिलेखित करना चाहिए। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मूल प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत दिनांक 24.06.2015 से 12.01.2017 तक रेस्पोंडेन्टगण की तलबी भी पूर्ण नहीं हुई। सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानुसार एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण का 30 दिवस में निस्तारण किये जाने का विधिसम्मत कारण भी पत्रावली की आदेशिकाओं में अंकित नहीं है। अपीलांत अधिवक्ता द्वारा उक्त अपील जैर अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है प्रकरण से संबंधित मूल आदेश अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के मे निर्णीत होगा। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी के संबंध में प्रकरण के इस स्तर पर किसी प्रकार का तर्क दिया जाना न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मूल प्रार्थना पत्र का लगभग 07 वर्षों से अंतिम निस्तारण नहीं किये जाने से हितबद्ध पक्षकारों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है एवं प्रार्थना पत्र लंबित होने से पक्षकारों को न्याय प्राप्त होने में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है। जो कि न्यायिक दृष्टि से उचित नहीं है। प्रकरण में किसी भी पक्ष की ओर से हाजा न्यायालय

तारीख हुक्म	राजस्व अपील संख्या 08/2017 हरमन बनाम मांगीदेवी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	---	--

द्वारा पारित स्थगन आदेश के संबध माननीय राजस्व मंडल द्वारा पारित किसी भी आदेश की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।

अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। उपखंड अधिकारी सांचौर द्वारा प्रकरण संख्या 20/2015 मे पारित आदेश दिनांक 24.06.2015 को अपास्त किया जाता है। चूंकि प्रकरण में निहित कानूनी बिन्दुओ की पालना करवाई जानी आवश्यक है, तदनुसार उपखंड अधिकारी सांचौर को निर्देशित किया जाता है कि आपके न्यायालय मे प्रकरण से संबधित विचाराधीन प्रकरण संख्या 20/2015 के अन्तर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 39 नियम 3(क) के प्रावधानो की पालना करते हुए उभयपक्षो को सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुए 30 दिवस के भीतर विधिसम्मत आदेश पारित करे। उक्त आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ़तर हो।


राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-जालौर